International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume IV, Issue IV, July-August 2017 Available online at: www.ijaur.com

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षिक एवं आर्थिक विश्लेषण

रामगरीब पटेल
अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी)
महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश–
शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर मानव की अनन्त यात्रा है। शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सही मायने में सामाजिक बन पाता है। शिक्षा से आशय किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि शिक्षा से आशय ज्ञान, अनुभव एवं सीख से है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वही उसकी शिक्षा है। शिक्षा ही व्यक्ति के पद और प्रस्थिति का निर्धारण करती है।

मुख्य शब्द – शिक्षा, सामाजिक विकास, ज्ञान, अनुभव एवं सीख।

प्रस्तावना –
शिक्षा ज्ञान के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है। शिक्षित व्यक्ति समाज में उच्च पद तो प्राप्त कर लेता है लेकिन व्यवहार और आचरण ठीक नहीं है तो, समाज में सम्मान नहीं मिलता। इसी परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि ''मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है।'' अर्थात् जो व्यक्ति ज्ञान को अपने आचरण और व्यवहार में ढालता है वही शिक्षित है।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का आर्थिक स्तर कृषि पर निर्भर होने के कारण उन्हें उच्च शिक्षा पाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जाती है। किन्तु इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीण स्तरों तक नहीं पहुँच पाया जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का सुचारू ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा सका तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका तथा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षिक और आर्थिक स्थिति दोनों ही कमजोर होती जा रही है।

भारत वह देश है जहाँ नालंदा, तक्षशिला विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जिनमें विश्व के कोने–कोने से लोग शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आते थे। लेकिन यह बात सुदूर अतीत की है। अब परिस्थितियाँ सर्वथा भिन्न है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार 'द टाइम्स' ने वर्ष 2006 में 200 सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची प्रकाशित की थी। जिसमें विकसित देश को छोड़कर चीन के 6 हांगकांग के 4 तथा भारत दक्षिण कोरिया एवं इजराइल के 3–3 मलेशिय के 2 तथा ताइवान, थाईलैण्ड, मैक्सिको, सिंगापुर और रूस के 1–1 विश्वविद्यालय शामिल थे। जबकि वर्ष 2009 में श्जीम ज्पउमेश ने मात्र 100 विश्वविद्यालयों की सूचित प्रकाशित की थी, जिसमें भारत के किसी उच्च शिक्षण संस्थान का नाम शामिल नहीं था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि राष्ट्रों के विकास तथा उन्नति में उच्च शिक्षा की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। कहा जा सकता है कि कोई भी राष्ट्र उच्च शिक्षा को नजर अंदाज करके उन्नति और विकास की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है।

अत्यन्त प्राचीन काल में विद्यार्थियों का शिक्षा अध्ययन का केन्द्र गुरुकुल, नालंदा, तक्षशिक्षा जैसे महान विद्या अध्ययन केन्द्र थे। गुरुकुल से हमारे देश में एक से एक बढ़कर उत्कृष्ट कोटि के विभिन्न विधाओं में पारंगत विद्वान उत्पन्न होते थे। उस समय वर्ण व्यवस्था तथा वर्ण विभेद के कारण सभी वर्णों के विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जिससे कुछ वर्गों की शैक्षणिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर थी। विगत कई वर्षों से प्रशासन का ध्यान इन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की ओर गया तथा इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिये भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन भी किया गया। शिक्षा ही एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है।

विश्लेषण –
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में औपचारिक शिक्षा का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। शिक्षण संस्थाओं में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों तथा महाविद्यालयों का निरन्तर विकास किया गया। भारतीय समाज में शिक्षा का निरन्तर विकास हो रहा है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में जितना शिक्षा का विकास होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास हो रहा है। पत्राचार एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से दूरदराज एवं दूर्गम इलाकों में उच्च शिक्षा सुलभ कराई जा रही है। शिक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गाँव व कस्बों में भी शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। शिक्षा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है –

सारणी - शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

क्र.	शिक्षा समूह	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर (शब्द ज्ञान)	18	06
2.	प्राथमिक	126	42
3.	माध्यमिक	69	23
4.	स्नातक	57	19
5.	परास्नातक एवं अन्य उच्च शिक्षा	30	10
	योग	300	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता 42 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं। 23 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक स्तर, 19 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर व 10 प्रतिशत उत्तरदाता परस्नातक एवं अन्य शिक्षा प्राप्त किये हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 6 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित तो हैं लेकिन उनके पास कोई औपचारिक प्रमाण–पत्र नहीं है। ये शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शिक्षित हुए हैं। तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी उत्तरदाता अशिक्षित नहीं है। लेकिन उच्च शिक्षा में स्थिति काफी दयनीय है।

जब बचपन से ही दासता तथा घृणा सूचक नामों से पुकारा जायेगा तो इसके मन में दास प्रवृत्ति और हीनता ग्रन्थि जम कर क्यों नहीं बैठ जायेगी। इस प्रकार पूरी की पूरी जाति गुलामी एवं हीन मनोवृत्ति की शिकार होकर जीवन भर सिर न उठा सके और चेतना पंगु हो जावे। इन्हीं धर्म ग्रन्थों का प्रभाव रहा कि शूद्र कहीं जाने वाली जातियों के नाम भद्दे व दीनता दायक रखे जाते रहे। यद्यपि पुनर्जागरण शिक्षा आदि के प्रभाव से अब छोटी जाति के लोग अपने बच्चों का नामकरण स्वयं करने लगे हैं। अन्यथा आजादी के बाद भी ग्रामीण अंचलों में अभी भी ब्राह्मणों द्वारा शूद्र वर्ग के लोगों का नामकरण संस्कार होता है, जो उसकी जाति व वर्ण के हिसाब से बताये जाते हैं। इसलिए प्रायः छोटी जाति वालों के नाम देखने पर मालूम होता है कि वे दीनता दायक व घृणा दायक भद्दे रूप में रखे गये हैं। जबकि द्विज वर्ग के नाम मंगलसूचक, बलसूचक तथा धनसूचक मिलेंगे।

शूद्रों को अच्छे खान–पान से ही नहीं उसको अच्छे रहन–सहन से भी निषेध किया गया है। ताकि श्रेष्ठ जन पक्के भवनों में रह सकें और वह घास–फूस व खपरैल की बनी जगहों में अपना जीवन यापन करें। कहा गया है– ''शूद्र को घर में नहीं रहना चाहिए, शूद्र जल नहीं पीना चाहिए और न ऊँचे आसन पर बैठना चाहिए क्योंकि इससे ब्राह्मणों को दुख होता है।'' संविधान लागू होने पर कानून के सामने सभी समान हैं लेकिन हिन्दू जाति व्यवस्था के पोषक धार्मिक ग्रन्थों में निम्न प्रकार व्यवस्था की गई है – ''जिस राज्य में न्याय करने वाला शूद्र हो, उस राजा का राज्य कीचड़ में फंसी गाय के समान क्लेश प्राप्त करता है।''

इस प्रकार की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं में पिछड़ा वर्ग कैसे विद्या अध्ययन कर सकता था। कैसे मानवीय गुणों का विकास कर सकता था। कैसे अपनी बुद्धि का विकास कर राष्ट्र रक्षा व राष्ट्रीय कर्तव्य को समझ सकता था, कैसे सम्मानजनक स्थान पा सकता था, कैसे अपनी हालत सुधारने के लिए अच्छा कारोबार कर धनवान बन सकता था। जब धार्मिक व्यवस्था इतनी कठोर थी। इस व्यवस्था के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ऋषि शम्बूक का वध कराया जाता है जबकि शम्बूक तपस्या करते थे। उनके आत्म कल्याण के इस काम से किसी को क्या परेशानी हो सकती थी। लेकिन छोटी जाति का व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करे, सम्मान पाये, जप–तप करे तो उसका यह कार्य नियमों एवं व्यवस्थाओं के विपरीत माना गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र के द्वारा ऋषि शम्बूक का वध करवाकर सामाजिक व्यवस्था भंग करने का दंड दिया जाता है। आचार्य द्रोणाचार्य के पास भील बालक एकलव्य शिक्षा ग्रहण करने जाता है। लेकिन भीलपुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया जाता है। एकलव्य अपनी साधना से धनु–र्विद्या में पारंगत हो जाता है। छोटी जाति के निषिद्ध एकलव्य में उच्च शिक्षा न रह पावे, अपने उद्देश्य में वह निष्फल हो जावे, इस हेतु गुरू दक्षिणा के नाम पर दाहिने हाथ का अंगूठा कटवा लिया जाता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। जब ज्ञानी–ध्यानी व योग्य व्यक्तियों को छोटी जाति के कारण विद्या पढ़ने की मनाही की गई थी। यदि किसी प्रकार उन्होंने विद्या प्राप्त भी कर ली, तो उसे नष्ट करने का प्रयास किया गया।

यद्यपि हर काल में इस भेदभाव मूलक जाति व्यवस्था का विरोध हुआ है। सबसे पहले आचार्य चार्बाक ने इसका विरोध किया। महामानव गौतम बुद्ध ने इसके विरुद्ध असरकारक अभियान चलाया। संत, कबीर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। गुरू नानक देव ने इस जातिवादी व्यवस्था से दुखी होकर अपना अलग पंथ चलाया जिसे सिख धर्म भी कहते हैं। स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ज्योतिवा फुले आदि ने इसकी कट्टरता पर प्रहार किये। लेकिन जाति प्रथा के बारे में बिल्ली के नौ जीवन वाली कहानी चरितार्थ है जो अनेकों विरोध को झेलते हुए आज तक जीवित बनी हुई है।

यद्यपि अंग्रेजों द्वारा बनाये गये कानून, जन शिक्षा व आधुनिक विचारधारा का प्रसार, रेल, समाचार–पत्र आदि का प्रचलन एवं होटल व आधुनिक समय में औद्योगीकरण व शहरीकरण आदि के कारण जाति बंधन के हिसाब से भेदभाव कुछ हद तक कम हो गये हैं। देश की स्वतंत्रता आन्दोलन के अमर सैनानी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, तथा सरदार पटेल आदि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सभी वर्गों एवं जातियों की भागीदारी व राष्ट्रीयता की भावना से जातिवाद की प्रखरता में काफी कमी आई। डॉ. अम्बेडकर द्वारा उनके अधिकारों की लड़ी गई लड़ाई ने छोटी जातियों में जागृति पैदा की तथा इस सम्बन्ध में छुआछूत मिटाने व भेदभाव समाप्त करने हेतु आवश्यक कानून भी बनाये गये हैं।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद वयस्क मताधिकार पद्धति ने जाति प्रथा को सबसे जबरदस्त चुनौती दी है। वयस्क मताधिकार पर आधारित राजनैतिक प्रणाली में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण बन गई है और वर्तमान राजनीति के कारण निम्न जातियों के लोग उच्च व सम्मानजनक स्थान पाने लगे हैं। जिसे कि वे धार्मिक व सामाजिक माध्यमों के जरिये प्राप्त नहीं कर सकते थे। अतः अब उच्च तथा निम्न जातियों के मध्य समानता में कुछ समायोजन हुआ है। परन्तु जातिवाद दूसरे रूप में उभरा है। तात्पर्य यह है कि इस भेदभाव पूर्ण वर्ण जाति व्यवस्था को हजारों वर्षों की यात्रा से निम्न समझी जाने वाली पिछड़े वर्ग की जातियाँ न केवल निम्न या छोटी जाति की समझी गई, बल्कि वे शैक्षणिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से भी पिछड़ी बनी रहीं, जिसका घिनौना स्वरूप आज 21वीं शदी में भी स्पष्ट दिखाई देता है।

संदर्भ –

1. ब्राह्मण ग्रन्थ, तेतसीय 1–6
2. मनुस्मृति, अध्याय–2 श्लोक 36
3. भारत में नारी शिक्षा, जे.सी. अग्रवाल, वर्ष 2009
4. शिक्षा के दार्शनिक सिद्धान्त, पाठक एवं त्यागी, वर्ष 2010
5. द वर्ल्ड क्राइसिस इन एजूकेशन, फिलिप एच कोपन्स, वर्ष 2010
6. ओलिव बैक्स–दि सोसियोलाजी आफ एजुकेशन, न्यूयार्क, वर्ष 2008
7. रीवा : सांख्यकीय पृस्तिका, जनसम्पर्क विभाग, वर्ष 2012
8. बघेली भाषा–साहित्य, सम्पादक, प्रतिभा चतुर्वेदी, वर्ष 2009
9. गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक बांधवगढ़, स्मारिका शताब्दी समारोह, 1983, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, डॉ. अजयशंकर पाण्डेय.
10. गोर्गी (आलेख), इतिहास अनुशीलन, अंक 06, डॉ. राधेशरण अनंत, वर्ष 2007.
11. देऊर कोठार, विन्ध्य प्रदेश का बौद्धकालीन गौरव, डॉ. (इंजी.), साकेत वर्धन बौद्ध, सम्यक, प्रकाशक, प्रथम संस्करण, वर्ष 2010
12. महात्मा गांधी का शिक्षादर्शन, प्रो. सत्यमूर्ति, अरुण प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2000
13. गुलाम गीरी, रचनाकार, जोतिवाराव फूले, अनुवादक डॉ. विमल कीर्ति, वर्ष 2011.
14. दुबे, श्यामाचरण, मानव एवं संस्कृति, वर्ष 2010
15. शर्मा, श्रीराम, धर्मदर्शन, मथुरा प्रकाशन, 1990
16. शर्मा, श्रीराम, समाज निर्माण के विभिन्न चरण, मथुरा प्रकाशन, वर्ष 2000
17. महाजन, धर्मवीर, भारत में समाज, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2004
18. सचदेव, डी.आर, भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब इलाहाबाद, वर्ष 2002.
19. ऐज–केयर इण्डिया, द्वारा आयोजित, सर्वेक्षण, अक्टूबर 23, 1989.
20. बद्येल डी.एस., सामाजिक अनुसन्धान, साहित्य भवन, पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा–1999
21. पाण्डेय एस.एस., कृषकों में वैज्ञानिक कृषि विचारकों का सम्प्रेषण, 1976
22. आर. दत्त एण्ड सुन्दरम, कृषकों में वैज्ञानिक कृषि विचारकों का सम्प्रेषण, 1976
23. सक्सेना आर.एन., भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाएँ, पृ. 99

.